कार्यालय प्रधानाचार्य, लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कालेज, मेरठ।

संख्या:पी0सी0 / 2019 / 5991 दिनांक:19.07.2019

नीलामी सूचना

विज्ञापन संख्या पी0सी0 / 2019 / 5688 दिनांक 06.07.2019 के कम में लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कालेज, मेरठ परिसर में खड़े 2 वाहनों (एम्बेस्ड़र कार एवं मेटाडोर एम्बुलेन्स) की नीलामी दिनांक 05 अगस्त, 2019 को दोपहर 2.00 बजे की जायेगी। विस्तृत विवरण कालेज के सूचना पट् एवं वेबसाईट (www.llrmmedical college.nic..in) पर देखा जा सकता है।

वाहन संख्या	नीलमी का स्थान
यू0पी0 15 एफ 1666 एम्बेस्ड़र कार (प्रट्रोल)	जी0एन0टी0ए मेडिकल कालेज, मेरठ।
यू0ए0ई0 9812 मेटरडोर एम्बुलेन्स (डीजल)	गैराज, सुपरस्पेशियलिटि ब्लाक के पास, मेडिकल कालेज, मेरठ।

(आर0सी0 गुप्ता)
प्रधानाचार्य
लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कालेज,
मेरठ।

संख्या:पी0सी0 / 2019 / 5991 तद्दिनांक:19.07.2019

प्रतिलिपि निम्नलिकखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. जिलाधिकारी मेरठ।
2. आर0टी0ओ0, मेरठ।
3. प्रमुख अधीक्षक, स0व0भा0प0 चिकित्सालय, मेरठ।
4. प्रभारी अधिकारी वाहन, ला0ला0रा0स्मा0 मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, मेरठ।
5. नोड्ल अधिकारी, वेबसाईट, ला0ला0रा0स्मा0 मेडिकल कालेज, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित की नीलामी के बारे में पूर्ण विवरण सहित शर्तो इत्यादी को वेबसाईट पर अपलोड़ कराने का कष्ट करें।
6. लेखा अनुभाग, ला0ला0रा0स्मा0 मेडिकल कालेज, मेरठ।
7. लेखा अनुभाग, स0व0भा0प0 चिकित्सालय, मेरठ।

(आर0सी0 गुप्ता)
प्रधानाचार्य
लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कालेज, मेरठ।

mr Sunil (website)

19/07/2019.

चिकित्सा शिक्षा विभाग की कन्डम घोषित वाहनों के मेडिकल कालेज, मेरठ प्रागंण में दिनांक 5 अगस्त 2019 को आयोजित सार्वजनिक नीलाम हेतु नियम व शर्तें।

1. राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ की कन्डम घोषित वाहनों का सार्वजनिक नीलाम विभाग की मेडिकल कालेज, मेरठ प्रांगण में दिनांक 5 अगस्त 2019 को दोपहर 2 बजे किया जायेगा। बशर्तें उक्त तिथि एवं समय किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों वश परिवर्तन न कर दिया जाए।
2. नीलाम समिति को पूर्ण अधिकार है कि वह कन्डम घोषित सभी वाहनों को नीलाम करा दे, अथवा उनमें से कुछ ही का नीलाम कराये। कन्डम वाहन कार्यक्रमवार नीलाम की जायेगी।
3. कन्डम वाहनों का नीलाम उपरोक्त स्थल पर, जिस स्थल पर जिस दिशा में है उसी दशा में नीलाम की जायेगी। इस पर नीलाम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार का प्रतिवाद करने का अधिकार नहीं होगा।
4. केवल उसी व्यक्ति को नीलाम में बोली बोलने का अधिकार होगा, जिसके द्वारा वाहन के निर्धारित मूल्य के 10 प्रतिशत की धनराशि धरोहर राशि के रूप में जमा की जायेगी।
5. जो व्यक्ति नीलाम में भाग नहीं लेंगे, अथवा जिनके नाम बोली नहीं छूटगी, उनको नीलाम की समाप्ति के बाद उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस (जैसी भी स्थिति हो) में उनके द्वारा जमा की गयी 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी। किसी भी व्यक्ति की बोली स्वीकृत हो जाने पर उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि को उसके द्वारा देय 25 प्रतिशत मूल्य में समायोजित कर लिया जायेगा।
6. नीलाम समिति को पूर्ण अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताये सम्पूर्ण, अथवा उसके किसी भाग के नीलाम को किसी भी स्तर पर स्थगित अथवा निरस्त कर दें। इस बिन्दु पर किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी ओर किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी सक्ष्म न्यायालय की शरण लेने का अधिकार नहीं होगा।
7. जिस व्यक्ति के नाम नीलाम की बोली छूटेगी उसको बोली छूटने के तत्काल बाद स्वीकृत बोली के 25 प्रतिशत धन का भुगतान करना होगा। वह व्यक्ति दूसरे लाट में तभी बोलने के लिए अधिकृत होगा, जब वह उसके नाम स्वीकृत बोली के स्वीकृत धन का 25 प्रतिशत जमा कर चुका होगा अन्यथा उस व्यक्ति को दूसरे लाट की गाडियों की बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा।

8. किसी भी व्यक्ति की बोली स्वीकार हो जाने पर यदि उसके द्वारा स्वीकृत बोली के धन का 25 प्रतिशत जमा नहीं किया गया तो उसके द्वारा जमा किये गये 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा वह व्यक्ति आगे के नीलाम में भाग नहीं ले सकेगा।
9. जिस व्यक्ति के नाम बोली स्वीकृत होगी उसको शेष 75 प्रतिशत धन का तथा सम्पूर्ण बोली के मूल्य का नियमानुसार बिक्रीकर सहित नीलाम की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा अन्यथा उसके द्वारा जमा किये गये 25 प्रतिशत को जब्त कर लिया जायेगा। स्वीकृत बोली की सम्पूर्ण धनराशि बिक्रीकर सहित जमा करने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर संबधित वाहनों एवं सामग्रियों को उठाना होगा।
10. नीलाम की बोली स्वीकृत हो जाने पर वाहनों को नीलाम के पश्चात से उठाये जाने की तिथि तक सुरक्षा का उत्तरदायित्व क्रयकर्ता का स्वयं होगा। किसी प्रकार भी इसके लिए विभाग उत्तरदायी न होगा।
11. किसी भी बोली को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलाम समिति के पास सुरक्षित होगा नीलाम से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए नीलाम समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यायालय की शरण लेने का अधिकार नहीं होगा।
12. मेडिकल कालेज,मेरठ प्रांगण के अन्दर, नीलाम के भाग लेने हेतु केवल वैध टोकन धारक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेगा तथा किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र धारक व्यक्ति को प्रवेश निषिद्व, अवैध एवं दण्डनीय होगा। किसी अन्य व्यक्ति को जिसके पास वैध टोकन नहीं होगा, कोई भी वैध टोकनधारक अपने साथ नीलाम स्थल पर नहीं ला सकेगा।
13. कोई भी वाहन, स्कूटर मोटर साइकिल, साइकिल आदि का नीलाम स्थल पर प्रवेश एवं पार्किंग निषिद्व है। उक्त की सुरक्षा का उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।